महिला सशक्तिकरण में सूचना प्राद्यौगिकी की भूमिका : गया जिला के सन्दर्भ में

स्वाती कुमारी (शोधार्थी)
स्नातकोत्तर समाज शास्त्र विभाग
मगध विश्वविद्यालय, बोधगया, बिहार

शोध – सार :– महिला सशक्तिकरण में जनसंचार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। महिलाओं में शिक्षा के प्रति, जागरूकता पैदा करना तथा शिक्षा से संबंधित सरकार की जो योजनाएँ लागू की जाती है उनकी ग्रामीण महिलाओं तथा सुदूर क्षेत्र के महिलाओं तक इसके बारे में जानकारी देने में रेडियों एवं दूरदर्शन की महत्वपूर्ण भूमिका है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आठवीं कक्षा तक लड़कियों को निःशुल्क शिक्षा देना, प्राईमरी स्कूल में निःशुल्क दोपहर का भोजन देना आदि के बारे में ग्रमीण समाज को सूचना देने में जनसंचार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है। आज जनसंचार के माध्यम से लोगों में यह चेतना पैदा हो गयी है कि यदि किसी देश की महिलाएँ अशिक्षित बनी तो उस देश का विकास संभव नहीं है। अतः ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं को शिक्षित बनाने के प्रति लोगों में रूझान बढी है। महिलाओं में स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने में भी सूचना तकनीक माध्यम काफी कारगर साबित हुए हैं। जैसे ग्रामीण महिलाओं के लिए रेडियो पर जाननी जैसे कार्यक्रम तथा दूरदर्शन पर कल्याणी जैसे कार्यक्रम से ग्रामीण महिलाओं को अनेक स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देकर उनमें स्वास्थ्य के प्रति जागृति जगाने में जनसंचार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हैं। शिक्षा के विस्तारीकरण के क्षेत्र में सूचना प्रौद्योगिकी अत्यंत प्रभावशाली तकनीक के रूप में स्थापित हो चुकी है। इस प्रौद्योगिकी के विभिन्न उपकरणों के माध्यम से आज ग्रामीण जीवन के स्तरोन्नयन के प्रभावी प्रयास किए जा रहे है। ग्रामीण क्षेत्र में महिला शिक्षा के प्रचार–प्रसार, प्राथमिक तथा माध्यमिक स्तर पर शिक्षा की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा ग्रमीण स्तर पर कार्यबल का गठन किया गया है। इस प्रौद्योगिकी ने सूचना सम्प्रषण की सबसे बडी बाधा, जो अब तक ग्रामीण विकास विशेषकर महिला विकास के मामले में सामने आती थी, को लगभग शून्य कर दिया है ।

शब्द सूचक :– *जनसंचार , जागरूकता , सूचना प्रौद्योगिकी , प्रभावशाली , तकनीक*

अध्ययन का उद्देश्य एवं अध्ययन पद्धति :–

प्रस्तुत अध्ययन ग्रामीण महिला सशक्तिकरण में सूचना प्रौद्योगिकी की भूमिका का अध्ययन करना है।

(1) बाल–विवाह, दहेज–प्रथा, परिवार नियोजन, महिला एवं शिशु स्वास्थ्य संरक्षण, ग्रामीण स्वच्छता एवं संक्रामक बिमारियों के बारे में जानकारी हासिल करने के लिए क्या महिलाओं द्वारा सूचना तकनीक की सहायता ली जाती है। इस संबंध में जानना भी इस अध्ययन का एक मुख्य उद्देश्य है।

(2) विभिन्न शैक्षणिक कार्यक्रमों की जानकारी देने में सूचना प्राद्यौगिकी की भूमिका का पता लगाना।

(3) क्या महिलाएँ ऐसा मानती हैं कि सूचना प्राद्यौगिकी ग्रामीण विकास एवं महिला को लाभ पहुँचाने वाली एक शक्तिशाली, सर्वसुलभ एवं सस्ती प्रणाली है? यह ज्ञात करना भी अध्ययन का एक मूल उद्देश्य है।

(4) महिला शिक्षा सुरक्षा एवं कल्याण में सूचना प्राद्यौगिकी की भूमिका का पता लगाना।

उपकल्पनाएँ:–

प्रस्तुत शोध के लिए निम्नलिखित उपकल्पनाओं का निर्माण किया गया है:–

(1) निर्धनता तथा बेरोजगारी को समाप्त करने में सूचना तकनीक से सहायता मिल सकेगी।

(2) जनसंख्या नियंत्रण पर विशेष बल देकर ग्रामीण महिलाओं के स्वास्थ्य में सुधार लाई जा सकेगी।

(3) रूढ़ियों तथा अधविश्वासों से महिलाओं को मुक्ति दिलाने में सूचना प्राद्यौगिकी की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है।

उपर्युक्त तीन उद्देश्यों के अनुसार पर सामाजिक शोध में निम्नलिखित तीन प्रकार के अध्ययन होते हैं।

(1) अन्वेषणात्मक एवं निरूपणात्मक अध्ययन

(2) वर्णनात्मक एवं निदानात्मक अध्ययन

(3) परीक्षात्मक अध्ययन

समग्र एवं निदर्शन :–

अध्ययन का समग्र गया जिला का चन्दौती प्रखण्ड है। गया जिला के चन्दौती प्रखण्ड के पाँच गाँवों का चयन कर वहाँ के रहने वाली महिलाओं पर अध्ययन किया गया है। पाँच गाँवों का चयन दैव निदर्शन पद्धति के द्वारा किया गया हैं चन्दौती प्रखण्ड से जिन पाँच गाँवों का चयन किया गया है, वे हैः–

(1) धनावाँ (2) नेयाजीपुर

(3) हरिओ (4) रेहुआ

(5) चपरदा

उन पाँच गाँवों से उद्देश्यपूर्ण निदर्शक पद्धति की सहायता से 300 महिलाओं का चयन कर उनसे तथ्य संकलित किए गया।

तथ्यों का सम्पादन :–

तथ्यों को वर्गीकृत करने से पहले उनका सर्वेक्षण किया। वे तथ्य जो कि समरूपता नहीं रखते थे उनके सत्यता की जाँच पुनः की। इस कार्य हेतु केन्द्रित साक्षात्कार का सहारा लिया। उन विशिष्ट उत्तरदाताओं से मिलकर तथ्यों की वास्तविकताओं का पता लगाया। जो सूचनाएँ गलत पायी उन्हें अध्ययन से निकाल दी है इस प्रकार परिकृत सूचनाओं को ही अध्ययन में सम्मिलित किया।

तथ्यों का वर्गीकरण :–

इस प्रकार एकत्रित तथ्यों से सामान्यीकृत निष्कर्ष प्राप्त करने के लिए उन्हें उनकी विशेषताओं के आधार पर अलग–अलग रखा। इस कार्य में स्वतंत्र परिवर्त्यों को ध्यान में रखा। स्वतंत्र परिवर्त्यों के आधार पर एकत्रित तथ्यों को द्विमार्गी सारणीयों में वर्गीकृत किया।

बाल विवाह का समाज पर प्रभाव :–

महाभारत में 16 वर्ष की कन्या को नग्निका कहा गया है। इसमें पति–पत्नी की आयु क्रमशः 30 वर्ष एवं 10 वर्ष एवं 21 वर्ष तथा 7 वर्ष की बतायी गयी है। मनु संहिता में 30 वर्ष के पुरूष को 12 वर्ष की कन्या एवं 24 वर्ष के पुरूष को 8 वर्ष की कन्या से विवाह करने की सलाह दी गयी है। भारत के कई गाँवों में तो छोटे–छोटे बच्चों को थाली में बैठाकर अथवा माता–पिता गोद में लेकर विवाह करा देते हैं। कर्वे ने लिखा है कि महाराष्ट्र में तो दो गर्भवती स्त्रियाँ परस्पर यह तय कर लेती है कि उनमें से एक को लड़का एवं दूसरे को लड़की हुई तो उनका विवाह करा दिया जाएगा। इस प्रकार भारत में बाल–विवाह की गंभीर समस्या है और मिलता है।

प्रस्तुत अध्ययन में 300 उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार के क्रम में यह प्रश्न पूछा गया था कि बाल विवाह का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा ? उत्तरदात्रियों से प्राप्त उत्तरों को निम्न सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

तालिका – 1

बाल विवाह का ग्रामीण महिलाओं एवं उनके व्यक्तित्व पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में उत्तरदात्रियों के विचार

प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
जनसंख्या वृद्धि	96	32.0
बाल–विधवाओं की संख में वृद्धि	39	13.0
व्यक्तित्व विकास में बाधक	72	24.0
योग्य जीवन साथी के चुनाव में कठिनाई	57	19.0
स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव	21	7.0
अन्य	15	5.0
योग	300	100

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 300 उत्तरदात्रियों में से 32 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह से ग्रामीण समाज में जनसंख्या में वृद्धि होता है। 13 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार इससे बाल विधवाओं की संख्या में वृद्धि होती हे। 24 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार यह व्यक्तित्व विकास में बाधक है, 19 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार इससे योग्य जीवन साथी के चुनाव में कठिनाई होती है, 7 प्रतिशत उत्तरदात्रियों के अनुसार स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव बाल विवाह से पड़ता है, 5 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने बाल विवाह के कुछ अन्य प्रभावों की चर्चा की।

विवाह विच्छेद के कारण

सामाजिक एवं कानूनी रूप से पति–पत्नी के विवाह संबंधों की समाप्ति ही विवाह–विच्छेद कहलाता है। विवाह विच्छेद पति–पत्नी के वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन में असामंजस्य एवं असफलता का सूचक है। इसका अर्थ यह है कि जिन उद्देश्यों को लेकर विवाह किया गया है वे पूर्ण नहीं हुए हैं। यह एक दुःख घटना है। इसमें एक साथी दूसरे का मूल्यांकन कर लेता है और जिसे रद कर दिया जाता है। वह अपने आपको अपमानित एवं कुचला हुआ महसूस करता है, उयके आत्माभिमान को चोट पहुँचती है। यह एक वैधानिक, पारिवारिक एवं सामाजिक समस्या भी है। इसका काफी बुरा प्रभाव महिलाओं के विकास एवं सुरक्षा पर पड़ता है। प्रस्तुत अध्ययन में सम्मिलित 300 उत्तरदात्रियों से साक्षात्कार के क्रम में यह प्रश्न पूछा गया था कि विवाह विच्छेद के क्या कारण है ? उत्तरदात्रियों से प्राप्त उत्तरों को व्यवस्थित रूप से सरल सारणी के द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है।

तालिका – 2

विवाह–विच्छेद के कारणों के प्रति उत्तरदात्रियों का विचार

विवाह विच्छेद के कारण	संख्या	प्रतिशत
महिलाओं की आत्मनिर्भरता	24	8.0
सामजस्य का अभाव	78	26.0
आर्थिक कठिनाईयाँ	75	25.0
चारित्रिक पतन	42	14.0
यौन असंतुष्टि	09	3.0
बेमेल विवाह	69	23
अन्य	3	1.0
योग	300	100

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 300 उत्तरदात्रियों में से 8 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का विचार था कि महिलाओं की आत्मनिर्भरता विवाह–विच्छेद का कारण है। 26 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने विवाह–विच्छेद का कारण सामंजस्य का अभाव बताया है। 25 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना था कि आर्थिक कठिनाईयों के कारण विवाह–विच्छेद को बल मिलता है। 14 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना था कि चारित्रिक पतन विवाह–विच्छेद का कारण है। 3 प्रतिशत उत्तरदात्रियों का कहना था कि यौन असंतुष्टि विवाह विच्छेद का कारण है। 23 प्रतिशत ऐसे उत्तरदाता थी जिन्होने यह स्पष्ट किया कि बेमेल विवाह के कारण विवाह विच्छेद को प्रोत्साहन मिलता है। 1 प्रतिशत उत्तरदात्रियों ने विवाह विच्छेद को अन्य कारण बताये है।

तालिका– 3

महिला सशक्तिकरण पर जनसंचार साधनों के प्रभाव के बारे में उत्तरदातओं के विचार

प्रभाव	संख्या	प्रतिशत
महिलाओं की वैचारिकी में परिवर्तन	84	28.00
नवीन कृषि तकनीकी का ज्ञान	42	14.00
महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता	36	12.00
कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि	33	11.00
लोगों में कृषि के प्रति सकारात्मक सोच का विकास	33	11.00
नवीन योजनाओं का ज्ञान	33	11.00
अन्य	09	3.00
योग	300	100.00

सारणी के आँकड़ों से स्पष्ट होता है कि 28% उत्तरदात्रियों का कहना था कि ग्रामीण समाज पर जनसंचार के संधनों के प्रभाव के कारण महिलाओं की वैचारिकी एवं सोच में परिवर्तन हुआ है। 14% उत्तरदात्रियों के अनुसार कृषकों को नवीन कृषि तकनीकी का ज्ञान प्राप्त हुआ है। 12% उत्तरदात्रियों के अनुसार कृषकों एवं महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुदृढ़ता आयी है। 21% उत्तरदात्रियों की राय में कृषि उत्पादन में निरन्तर वृद्धि हो रही है। 11% उत्तरदात्रियों के अनुसार ग्रामीण समाज के लोगों में कृषि के प्रति सकारात्मक सोच का विकास

हुआ है। 11% उत्तरदात्रियों के अनुसार जनसंचार साधनों के प्रभाव से ग्रामीण पुरूषों एवं महिलाओं में नवीन कृषि योजनाओं का ज्ञान प्राप्त हुआ है तथा 3% उत्तरदाताओं के अनुसार जनसंचार साधनों का ग्रामीण समाज पर कुछ अन्य प्रभाव भी पड़ा है।

सारांश एवं निष्कर्ष :–

फिलहाल गाँवों में संचार सुविधाओं के आने के बाद और कई तरह की सुविधाओं को चार चाँद लग गए हैं। अब गाँवों में जगह–जगह साइबर कैफे खुल रहे हैं जहाँ से लोग आसानी से अपनी जरूरत की चीजों के बारे में जान सकते हैं। ग्रामीण महिलाएँ भी अब कम्प्यूटर एवं इंटरनेट का प्रयोग कर जानकारी प्राप्त कर रही है। इससे एक तरफ उनका ज्ञान बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ रोजगार मिल रहा है। साथ ही उनकी शैक्षणिक और आर्थिक उन्नति भी हो रही है। ग्रामीण विकास एवं परिवर्तन में संस्कृति एवं संस्थाओं की भूमिका तथा ग्रामीण विकास एवं परिवर्तन में संस्कृति एवं संस्थाओं की भूमिका तथा ग्रामीण महिलाओं की अभिव्यक्तियों, धारणाओं तथा उनके अन्तः सम्बन्धों का विवेचना मुख्य है। वास्तव में ग्रामीण परिवर्तन में जो नये आयाम उभर रहे हैं, उनके पीछे एक ओर तो संस्कृति एवं संस्थाएँ हैं तो दूसरी ओर ग्रामीण महिलाओं के जीवन को प्रभावित करने वाली संचार सुविधाएँ एवं तकनीक प्रस्तुत अध्ययन में सूचना तकनीक के प्रभाव के कारण ग्रामीण महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक जीवन में जो परिवर्तन हुए है, उनका विश्लेषण किया गया है। राष्ट्रीय एवं अर्न्तराष्ट्रीय स्तर पर पुरूषों विशेषकर महिलाओं के लिए आर्थिक एवं राजनीतिक क्षेत्र में अवसर बढ़ाने के लिए प्रयत्न होने चाहिए। कानूनी समानता के लिए राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अगले दस वर्ष तक पूरे प्रयत्न किए जाएँ। महिलाओं को कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाए एवं विधिक ज्ञान प्रसार के कार्य किए जाएँ। राष्ट्रीय स्तर पर महिला आयेाग की स्थापना हो।

सन्दर्भ सूची :–

1. सामाजिक अनुसंधान– रवीन्द्र नाथ मुखर्जी, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, नया संस्करण वर्ष– 2005
2. भारत में विवाह एवं परिवार– के॰एम॰ कपाड़िया, मोतीलाल, बनारसीदास, पटना
3. कल्चर चेंज इन इण्डिया– सिंह योगेन्द्र, 2000, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
4. भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं समस्याएँ– अग्रवाल जी॰के॰ व शर्मा श्रीनाथ, आगरा बुक स्टोर, आगरा 1982
5. हाउस, जयपुर– 05, तृतीय संस्करण, वर्ष– 2005 भारतीय समाज, संरचना और परिवर्तन– एस॰एल॰ दोषी, पी॰सी॰ जैन, नेशनल पब्लिशिंग
6. नगरीय समाजशास्त्र– शारदा तिवारी, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, 4831/24, प्रहलाद गली, दरियागंज, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण– वर्ष 2004
7. भारतीय समाज– संजीव महाजन, अर्जुन पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली, प्रथम संस्करण– 2004
8. नारीवादी राजनीतिः संघर्ष एवं मुद्दे– संपादक– साधन आर्य, निवेदिता मेन, जिनी लोकनीता, हिन्दी माध्यम कार्यान्वय निदेशालय, नई दिल्ली
9. भारतीय स्त्रीः सांस्कृतिक संदर्भ– प्रतिभा जैन एवं संगीता शर्मा, रावत पब्लिकेशन, जयपुर
10. भारतीय समाज के परिप्रेक्ष्य– धर्मवीर महाजन एवं कमलेश महाजन, विवेक प्रकाशन, जवाहर नगर, नई दिल्ली, नवीनतम संस्करण– 2006
11. भारतीय नारीः संघर्ष और मुक्ति– वृदा, करात, ग्रंथ शिल्पी (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली
12. Indian Approach to women's Empowerment- Bharat Jhunjhunwala & Madhu Jhunjhunwala

13. Society in India- Ram Ahuja, Rawat Publication, New Delhi & Jaipur, Reprinted- 2004
14. Indian Approach to women's Empowernment- Bharat Jhunjhunwala & Madhu Jhunjhunwala
15. Beena; May – Jun 2012; Role of ICT educations for women empowerment; IJER; 164-172